

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. - 2025/657

मुकदमा नम्बर 295/2025

दर्ज दिनांक-29.10.2025

1. महेश कुमार पुत्र सांवलराम
2. रामकरण सैनी पुत्र सांवलराम
3. लादूराम सैनी पुत्र सांवलराम
4. सरोज देवी पत्नी प्रेमचन्द, जाति माली निवासी गण सेठवाली ढाणी, नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
बनाम

भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुनू

वकील आवेदक :- श्री दयाराम सैनी

अनावेदक :- पैरो. राज.

प्रार्थना-पत्र(पत्थरगढी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 30.10.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम नवलगढ़ के भूमि खसरा नं. 2144/6 रकबा 0.48 है0 का रिकॉर्ड में दर्ज रकबा व हल्का पटवारी द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 21.10.2025 के अनुसार सीमाओं की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जावे।


प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित किसी प्रकार का उजर एतराज पेश नहीं किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक ने प्रा. पत्र के साथ दिनांक 21.10.2025 की फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की है। पत्रावली पर प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार की गई, जिस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है परन्तु उक्त सीमाज्ञान फर्द पर सीमावर्ती खातेदारों के उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व ग्राम नवलगढ़ के भूमि खसरा नं. 2144/6 रकबा 0.48 है0 की सीमाओं पर सभी सीमावर्ती व प्रभावित पक्षकारों व खातेदारों की उपस्थित में पुनः सीमाज्ञान कर फर्द तैयार करते हुये, मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह/पत्थरगढी कायम कर दी जावे।

उक्त कार्य पत्थरगढी के लिये कोई आवश्यक शुल्क अथवा खर्चा होगा तो वह आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। यदि आदेश की पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदकगण द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 30/10/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुनू